# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 78/2013 तारीख रजू :–21.06.2013

पीठासीन अधिकारी – हेमराज गुर्जर

R.A.S.

रामनिवास बनाम बालगोविन्द वगैराह

दावा बाबत् इस्तकरार हक आदि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 रेसज्यूडीकेटा एवं ऑर्डर 7 रूल 11 सी.पी.सी. का निर्णय

उपस्थित :–1. श्री संजय कुमार शर्मा एडवोकेट प्रार्थी/प्रतिवादी सं01

2.श्री अशोक नीमनका एडवोकेट अप्रार्थी/ वादी

## निर्णय दिनांक :–26.09.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/ प्रतिवादी सं0 1 ने दिनांक 20.05.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 रेसज्यूडीकेटा एवं ऑर्डर 07 रूल 11 सी.पी.सी. पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि उक्त उनवानी प्रकरण वादी ने विवादित भूमि हाल खसरा नं. 134 रकवा 12 ऐयर जिसका साविक खसरा नं 120 की किस्म गैरमुमकिन रास्ते की बजाय बारानी करने की इस्तदुआ चाही है। जिस बावत खातेदारी की घोषणा चाही हैं। चूँकि उक्त विवादित भूमि बावत ही किस्म परिवर्तन बावत, इन्ही पक्षकारों के मध्य पूर्व में उनवानी मुकदमा बालगोविन्द बनाम दी स्टेट आफॅ राज. वगै. मु. नं. 115/96 न्यायालय उपजिला कलेक्टर हिण्डौन से दिनांक 08. 01.2007 को फैसल होकर खारिज हो चुका है। जिसके निर्णय व डिक्री की कॉपी पेश की जा रही हैं। पुनः उसी विवादित भूमि बावत उन्ही पक्षकारों के मध्य उसी रिलिफ (विवाद–विषय) को लेकर वादी ने पुनः उक्त दावा पेश कर दिया हैं। जो श्रीमान अदालत द्वारा गुण–दोष के आधार पर पूर्व में ही निर्णित किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त दावा रेसजुडीकेटा की तारीफ में आता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जो चलने योग्य नहीं है। इसी स्तर पर उक्त दावे को खारिज फरमाया जावें। क्यों कि रेसजुडीकेटा के सिद्धान्त के आधार पर वादी द्वारा चाही गयी रिलिफ बावत श्रीमान अदालत द्वारा पूर्ववर्ती निर्णय गुण–दोष के आधार पर पारित किया जा चुका हैं। उसे पश्चातवर्ती वाद में दोबारा नहीं उठाया जा सकता। जिससे न्यायिक अराजकता पैदा ना हो। वादी द्वारा पेश किया दावा विधि द्वारा वर्जित है।

अतः वादी का दावा रेसजुडीकेटा के सिद्धान्त के आधार पर तथा विधि द्वारा वर्जित होने के कारण अन्तर्गत ऑर्डर 7 रूल 11 जा.दी खारिज फरमाया जाकर पत्रावली दाखिल दफतर फरमायी जावें।

अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 रेस्ज्यूडीकेटा एवं ऑर्डर 07 रूल 11 जा0दी0 का कोई जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। बल्कि सीधे ही उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस करने का निवेदन किया।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 रेस्ज्यूडीकेटा एवं ऑर्डर 07 रूल 11 जा0दी0 पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/ प्रतिवादी सं0 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 रेस्ज्यूडीकेटा एवं ऑर्डर 07 रूल 11 जा0दी0 में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी/वादी ने दौराने बहस अवगत कराया कि पूर्व में मुकदमा नं. 115/96 उनवानी बालगोविन्द बनाम स्टेट प्रतिवादी सं01 बालगोविन्द की ओर से पेश किया गया था। जोदिनांक 08.01.2007 को खारिज फरमा दिया गया। उक्त मुकदमा में पक्षकार एवं विवादित आराजी एवं चाही गई रिलीफ भिन्न है। इसलिए प्रार्थी/ प्रतिवादी सं01 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी/ प्रतिवादी सं01 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन मुकदमा नं0 115/1996 उनवानी बालगोविन्द पुत्र भगवत प्रसाद जाति जाट

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

निवासी सौमलारात्रा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान वगैराह दावा बाबत् रिकार्ड ऑफ दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी तथा हुक्मईम्तनाई दवामी में विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 120 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम सोमलारात्रा के हाल खसरा नम्बर 134 रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम सोमलारात्रा को पारित निर्णय दिनांक 08.01.2007 के अनुसार खारिज किया गया है। उक्त मुकदमा में भी वादी रामनिवास को प्रतिवादी सं0 3/1 दर्ज किया गया है अर्थात वादी उक्त मुकदमा में भी पक्षकार प्रतिवादी सं0 3/1 रहा है।

वादी रामनिवास ने अपने उक्त मुकदमा में रिलीफ चाही गई है कि आराजी खसरा नम्बर 134 रकबा 0.12 है0 स्थित ग्राम सोमलारात्रा वादी हि0 1/4, प्रतिवादी सं01 बहिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी नं02 बहिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार हैं एवं आराजीयात की किस्म गै0मु0 रास्ते से बारानी साबिक रिकार्ड के मुताविक दर्ज कराने का निवेदन किया है।

नकल जमाबन्दी सम्बत् 2068–71 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 134 रकबा 0.12 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता स्थित ग्राम सोमलारात्रा की खातेदारी गिल्हारया भगवत पि0 बादाम जाति जाट निवासी ग्राम गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट ग्राम सोमलारात्रा के साबिक खसरा नम्बर 120 रकबा 10 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 134 रकबा 0.12 है0 कायम किया गया है।

नकल जमाबन्दी सम्बत् 2036–39 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 120 रकबा 10 बिस्वा किस्म बारानी 3 स्थित ग्राम सोमलारात्रा की खातेदारी गिल्हारया भगवत पि0 बादाम जाति जाट निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन मुकदमा नं0 115/1996 उनवानी बालगोविन्द पुत्र भगवत प्रसाद जाति जाट निवासी सौमलारात्रा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान वगैराह दावा बाबत् रिकार्ड ऑफ दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी तथा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हुक्मईम्तनाई दवामी में विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 120 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम सोमलारात्रा के हाल खसरा नम्बर 134 रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम सोमलारात्रा को पारित निर्णय दिनांक 08.01.2007 के अनुसार खारिज हो चुका है। इसीलिए इसी विवादित आराजीयात के बाबत् वादी/ अप्रार्थी का मुकदमा नं0 78/2013 उनवानी रामनिवास बनाम बालगोविन्द वगैराह दावा बाबत् इस्तकरारहक आदि, धारा 11 सीपीसी " रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त " के आधार पर एवं ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी के तहत चलने योग्य नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। उक्त प्रकरण पर रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त पूर्ण रूपेण चस्पा होता है। ऐसे हालात में प्रार्थी/ प्रतिवादी सं01 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 एवं ऑर्डर 07 रूल 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी का मुकदमा नं0 78/2013 उनवानी रामनिवास बनाम बालगोविन्द वगैराह दावा बाबत् इस्तकरारहक आदि, धारा 11 सी.पी.सी. एवं ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी के तहत रिजेक्ट किया जाकर खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं01 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी एवं ऑर्डर 07 रूल 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी का मुकदमा नं0 78/2013 उनवानी रामनिवास बनाम बालगोविन्द वगैराह दावा बाबत् इस्तकरारहक आदि, धारा 11 सी.पी.सी. एवं ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी के तहत रिजेक्ट किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/9/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली